प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष – 2021

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)
वाद सं0 : 885 सन 2021
अनवान :–

1. परमेश्वरी पत्नी चम्पालाल जाति भार्गव (डाकोत) साकिन नोहर तहसील नोहर ।
2. गोविन्द पुत्र कन्हैयालाल जाति भार्गव (डाकोत) साकिन नोहर तहसील नोहर

वादीगण

बनाम

1. अनिल कुमार पुत्र कमला जाति भार्गव (डाकोत) साकिन नोहर तहसील नोहर
2. सुभम पुत्र मीनादेवी नाबालिग जरिय पिता राजपाल पुत्र फुलचन्द जाति भार्गव (डाकोत) साकिन नोहर तहसील नोहर
3. सहदेव पुत्र कन्हैयालाल जाति भार्गव (डाकोत) साकिन नोहर तहसील नोहर
4. पवन पुत्र कन्हैयालाल जाति भार्गव (डाकोत) साकिन नोहर तहसील नोहर
5. दीपिका पुत्री कन्हैयालाल जाति भार्गव (डाकोत) साकिन नोहर तहसील नोहर
6. लक्ष्मीदेवी पुत्री मीना जाति भार्गव (डाकोत) साकिन नोहर तहसील नोहर
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री महेश चन्द्र शर्मा अधिवक्ता वादी
पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :– 25.10.2021

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आश्य का पेश किया गया की रोही मौजा चक 14 बारानी के खाता संख्या 54 की कुल 5.0600हैक में अनु का 1/336हिस्सा, अनिल कुमार का 1/42 हिस्सा , ओमप्रकाश का 1/2 हिस्सा, कन्हैयालाल का 11/168 हिस्सा, नत्थुराम का 1/6 हिस्सा, परमेश्वरी का 5/84 हिस्सा, बाबुलाल का 1/6 हिस्सा, राकेश का 1/252 हिस्सा, लक्ष्मी का 1/252 हिस्सा सुभम का 1/336 हिस्सा दर्ज है

रोही मौजा ढाणी चारणान के खाता संख्या 13 की कुल 11.9380हैक में अनु का 1/164 हिस्सा, एवं अनिल का 1/21 हिस्सा कन्हैयालाल का 5/36 हिस्सा, नत्थुराम का 1/3 हिस्सा, परमेश्वरी का 8/63 हिस्सा, बाबुलाल का 1/3 हिस्सा लक्ष्मी का 1/126 हिस्सा, सुभम का 1/168 हिस्सा दर्ज है।

रोही मौजा चक 14 बारानी के खाता संख्या 76 की कुल 6.8310हैक में औमप्रकाश का 1/3 हिस्सा कन्हैयालाल का 217/13662हिस्सा, चुका पुत्री किशनलाल का 542/34155 हिस्सा, नत्थुराम पुत्र धनपत का 1/9 हिस्सा, मैना पुत्री किशनलाल का 542/34155 हिस्सा, मीना पुत्र किशनलाल का 542/34155 हिस्सा, रगलाल पुत्र भगवानाराम का 304/6831 हिस्सा राधेश्याम पुत्र जैसाराम का 130/759 हिस्सा रोहिताश पुत्र मदनलाल का 236/2277 हिस्सा श्यामादेवी पुत्री जैसाराम का 95/6831 हिस्सा दर्ज है।

वाद भूमि धनाराम की थी धनाराम के देहान्त होने के बाद किशलाल मृतक का 1/3 हिस्सा, नत्थुराम बाबुलाल का 2/3 हिस्सा प्राप्त हुआ वाद किशनलाल के वारिसान के मध्य है शेष के विरूद्व किसी प्रकार की रिलिफ नही है।

किशनलाल के कुल सात वारिसान हुए किशनलाल की भूमि में किशनलाल के वारिसान प्रत्येक 1/21 हिस्सा के हकदार हुए किशनलाल के वारिसान में से उनका पुत्र चम्पालाल एवं चम्पालाल की पुत्री मीना एवं किशनलाल की पुत्री कमला व मीना उर्फ मेना का देहान्त हो चुका है।

किशनलाल की पुत्री चुका देवी , मैनादेवी, मीरा एवं मैना उर्फ मीना के वारिसान कृष्णा, सरोज , सुमन चम्पालाल के वारिसान इन्द्रा सुनीता पुत्री चम्पालाल ने दिनांक 26.08.2014 को उप पंजीयक नोहर से दस्तवरदारी करवाई जा चुकी है एवं राकेश व शकुन्तला पुत्र/पुत्री मैना पुत्री किशनलाल ने दिनांक 11.9.2014 को दस्तवदारी करवाई जा चुकी है।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

इस प्रकार किशनलाल के समस्त वारिसान ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 3 ता 5 के पक्ष में किया जा चुका है इसलिये वाद भूमि वादीगण एवं

प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहते है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 ने निवेदन किया की वाद भूमि पूर्व में उनके पुर्वज धनाराम के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने के बाद उनके तीन पुत्रों के नाम दर्ज हुई किशनलाल के नाम 1/3 हिस्सा दर्ज हुई किशनलाल के देहान्त होने एवं उनके वारिसान में से पुत्र चम्पालाल, पुत्री कमलादेवी , मीनादेवी एवं पुत्री मीनादेवी का भी देहान्त हो चुका है किशनलाल व उनके पुत्र /पुत्रीयो के देहान्त होने पर उनके वारिसान ने अपने हक हिस्सा की भूमि को वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 के पक्ष में दस्तवरदार हो चुके है तथा प्रतिवादी संख्या 1 व 6 ने भी अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 के पक्ष मे किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 के हक हिस्सा की भूमि है वादीगण के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 ने स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की वाद भूमि उनके हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जाता है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों एवं मजमें आम की सहमति/जानकारी के आधार पर वाद का निस्तारण फरमावे।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल/आपसी सहमति मजमे आम में होने के कारण अन्य किसी कार्यवाही की आवश्यकता नही रही।

पत्रावली प्रशासन गावं के संग अभियान – वर्ष –2021 कैम्प कोर्ट में पेश हुई वादी के अधिवक्ता ने निवेदन किया की प्रकरण में उभयपक्षों की सहमति पेश हो चुकी है अर्थात वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल/सहमति पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बध में कोई ऐतराज नही है तथा अपने कथनों के सम्बध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद न्यायायिक दृष्टान्तों एवं आपसी सहमति /मजमे आम की सहमति /जानकारी के आधार पर वाद वादी डिक्री फरमाया जावे।

हमने उभयपक्षो को सुना पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा चक 7 जेएसएन के खाता संख्या 63/106 की कुल 6.7420हैक एवं रोही मौजा 2 जेएसएन के खाता संख्या 63/98 की कुल 0.3290हैक मं से 1/3 हिस्सा यानी 0.109हैक व रोही मौजा चक 1 जेएसएन के खाता संख्या 106/198की कुल 6.5400हैक में से 1/3 हिस्सा यानी 2.180हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है।

वादीगण का कथन है कि वाद भूमि सयुक्त खाते में किशनलाल के वारिसान के नाम से दर्ज थी किशनलाल एवं उसके पुत्र/पुत्रीयो एवं पुत्रीयों के वारिसान का देहान्त हो चुका है जिनके वारिसान ने स्वेच्छा से दस्तवरदारी वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 के पक्ष में करवाई जा चुकी है एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,6 ने भी अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 के पक्ष में किया जा चुका है वादीगण के कथनो को प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 ने स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की वाद भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही हे व अपने कथनो के समर्थन में ईकबाल पेश किया जा चुका है ।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते है के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है तथा प्रतिवादी संख्या 1, 6 ने अपने हकों का त्याग किये जाने के कारण राज्यहकों की सुरक्षा के मध्यनजर स्टाम्प डयूटी कायम की जानी न्यायोचित है।

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नही होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 14 बारानी के खाता संख्या 76 की कुल 6.8310हैक में बादो , मैना, मीना, मीरा, चुका व मृतक कन्हैयालाल का नाम कलमजन किया जाकर वादीया का 759/13662हिस्सा तथा वादी संख्या 2 व प्रतिवादी संख्या 3 ता 5 बहिब 759/13662हिस्सा एवं रोही मौजा चक 14 बारानी के खाता संख्या 54 की कुल 5.0600हैक भूमि में, प्रतिवादी संख्या 1 व राकेश , लक्ष्मीदेवी, शकुन्तला तथा मृतक कन्हैयालाल का नाम कलमजन किया जाकर वादीया का 1701/21168 हिस्सा व वादी संख्या 2 व प्रतिवादीगण संख्या 3 ता 5 का 1701/21168 हिस्सा बहिब एवं रोही मौजा ढाणी चारणान के खाता संख्या 13 की कुल 11.9380हैक भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 अनिल एवं मृतक कन्हैयालाल व लक्ष्मीदेवी का नाम कलमजन किया जाकर वादिया 81/504 हिस्सा तथा वादी संख्या 2 व प्रतिवादी संख्या 3 ता 5 का 81/504 हिस्सा बहिब का खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय बाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 25.10.2021 को प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष – 2021 मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)
प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष– 2021
कैम्प कोर्ट...22 एनटीआर.

सत्यमेव जयते

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष – 2021
पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :–

1. परमेश्वरी पत्नी चम्पालाल जाति भार्गव (डाकोत) साकिन नोहर तहसील नोहर ।
2 गोविन्द पुत्र कन्हैयालाल जाति भार्गव (डाकोत) साकिन नोहर तहसील नोहर

वादीगण

बनाम

1 अनिल कुमार पुत्र कमला जाति भार्गव (डाकोत) साकिन नोहर तहसील नोहर
2 सुभम पुत्र मीनादेवी नाबालिग जरिय पिता राजपाल पुत्र फुलचन्द जाति भार्गव (डाकोत) साकिन नोहर तहसील नोहर
3 सहदेव पुत्र कन्हैयालाल जाति भार्गव (डाकोत) साकिन नोहर तहसील नोहर
4 पवन पुत्र कन्हैयालाल जाति भार्गव (डाकोत) साकिन नोहर तहसील नोहर
5 दीपिका पुत्री कन्हैयालाल जाति भार्गव (डाकोत) साकिन नोहर तहसील नोहर
6 लक्ष्मीदेवी पुत्री मीना जाति भार्गव (डाकोत) साकिन नोहर तहसील नोहर
7 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 885 सन 2021 निर्णय दिनांक–25.10.2021

आज यह वाद प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष – 2021 कैम्प कोर्ट में मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष उभयपक्षों की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं आपसी सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 14 बारानी के खाता संख्या 76 की कुल 6.8310हैक में बादो , मैना, मीना, मीरा, चुका व मृतक कन्हैयालाल का नाम कलमजन किया जाकर वादीया का 759/13662हिस्सा तथा वादी संख्या 2 व प्रतिवादी संख्या 3 ता 5 बहिब 759/13662हिस्सा एवं रोही मौजा चक 14 बारानी के खाता संख्या 54 की कुल 5. 0600हैक भूमि में, प्रतिवादी संख्या 1 व राकेश , लक्ष्मीदेवी, शकुन्तला तथा मृतक कन्हैयालाल का नाम कलमजन किया जाकर वादीया का 1701/21168 हिस्सा व वादी संख्या 2 व प्रतिवादीगण संख्या 3 ता 5 का 1701/21168 हिस्सा बहिब एवं रोही मौजा ढाणी चारणान के खाता संख्या 13 की कुल 11.9380हैक भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 अनिल एवं मृतक कन्हैयालाल व लक्ष्मीदेवी का नाम कलमजन किया जाकर वादिया 81/504 हिस्सा तथा वादी संख्या 2 व प्रतिवादी संख्या 3 ता 5 का 81/504 हिस्सा बहिब का खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 25.10.2021को प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष – 2021 में मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)
प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष– 2021
कैम्प कोर्ट....22 एनटीआर.